223/RTA/2016/13

रेवन्तराम बनाम सरकार

22-11-21 अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली पर उभय पक्षों को सुना गया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा पत्रावली पर बहस करते हुए कथन किया गया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 21–12–2015 वादी संख्या 2 गोविन्दराम की मृत्यु के उपरान्त पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में चूंकि अपीलाधीन आदेश एक मृतक व्यक्ति के विरूद्व पारित किया गया है, लिहाजा उक्त आदेश शून्य आदेश की परिभाष में आता है। प्रकरण में गुणावगुण पर किसी प्रकार का कोई निर्णय जब तक नहीं किया जा सकता, जब तक कि मृतक पक्षकार के जायज वारिसान को रिकार्ड पर नहीं लिया जाता। प्रस्तुत मामलें में वादी गोविन्दराम की मृत्यु दिनांक 30–03–2015 को हो चुकी थी, जबकि अपीलाधीन आदेश दिनांक 21–12–2015 अर्थात वादी गोविन्दराम की मृत्यु के करीब 9 माह पश्चात् पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र में वादी संख्या 2 गोविन्दराम के जायज वारिसान को रिकार्ड पर प्रतिस्थापित किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए प्रस्तुत अपील अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जावे की वे वादी गोविन्दराम के जायज वारिसान को रिकार्ड पर लेते हुए उन्हें सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अदालत मातहत के समक्ष जैरकार वाद में वादी गोविन्दराम पुत्र स्व. हरखाराम की मृत्यु दिनांक 30–03–2015 को हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में वादी संख्या 1 रेवन्तराम जोकि वादी संख्या 2 गोविन्दराम का भाई है, को न्यायालय के समक्ष इस तथ्य की [illegible] प्रदान की जानी थी कि वादी संख्या 2 गोविन्दराम की मृत्यु हो चुकी है, तथा उनके जायज वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने की कार्यवाही करते हुए अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहिए [illegible] वादीगण द्वारा अदालत मातहत के समक्ष उक्त तथ्य प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा वादपत्र पर गुणावगुण पर अपना निर्णय पारित किया गया है। जोकि विधि सम्मत है। अतः अपीलाधीन आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:34:43 IST
Reason: SelfAttested

में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील को खारिज फरमाया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 21–12–2015 यथावत बहाल रखा जावे।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

हस्तगत् अपील अपीलांट्स द्वारा अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर के आदेश दिनांक 21–12–2015 के विरूद्व धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गई है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश वादी संख्या 2 गोविन्दराम पुत्र स्व. हरखाराम की मृत्यु के उपरान्त पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश शून्य आदेश की परिभाष में आता है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा अपने कथन के समर्थन में वादी संख्या 2 गोविन्दराम का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य भलींभांति साबित है कि अदालत मातहत द्वारा दिनांक 21–12–2015 को पारित आदेश वादी संख्या 2 गोविन्दराम पुत्र स्व. हरखाराम की मृत्यु के करीब 09 माह पश्चात् पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश जोकि एक मृत्क पक्षकार के विरूद्व पारित किया गया है, को कायम रखने का कोई युक्तियुक्त व तर्कसंगत कारण प्रतीत नही होता है। लिहाजा प्रस्तुत अपील के गुणावगुण पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी अंकित किये बिना प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वादी संख्या 2 गोविन्दराम के जायज वारिसान को वादपत्र में पक्षकार संयोजित करते हुए उन्हें सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पक्षकारों को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 22–12–2021 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित आकर आगामी कार्यवाही सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:34:43 IST
Reason: SelfAttested

22/11/2021

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर